राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	982/2022 बनाम भगवान सिंह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.10.25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 29/10/2025 को पेश हो।	
29.10.25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस समायत करते हुये आदेश दिनांक 10/01/2022 पारित करते हुये अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 3 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 04 सीपीसी का पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की सुनवाई कर अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 15/12/2022 को पारित करते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का एवं अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि विचाराधीन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वाद घोषणा का है, जिसमे समस्त साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत होने के उपरान्त तनकीवार विवेचन/विश्लेषण कर घोषणा के बिन्दु को वाद के अन्तिम निस्तारण के वक्त तय किया जाना है एवं चूँकि अपील के स्तर पर विवादगस्त भूमि का पैतृक भूमि होना एवं कुछ भूमि का अन्यत्र विक्रय होना जाहिर हुआ है, ऐसे में यदि विवादग्रस्त भूमि की यथास्थिति को बनाये नही रखा जाता है तो प्रकरण में अनावश्यक नवीन विवाद उत्पन्न होने एवं अपीलार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होना सम्भव है, जिसे रोका जाना न्यायहित में आवश्यक समझा जाता है। इसके अतिरिक्त उद्धरित तथ्यों से प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु अपीलार्थी के पक्ष में जाहिर हुआ है। अत: ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15/12/2022 निरस्त किया जाकर ता-फैसला मूल वाद ग्राम गागपुरा, तहसील पावटा, जिला जयपुर स्थित विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1343/0.30, 1344/0.42, 1345/0.41, 598/0.88, 1333/1.10,	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	जयवर्धन बनाम भगवान सिंह 982/2022 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

1332/0.29, 1335/0.50, 1368/0.05, 1369/0.05, 1370/0.01, 1749/0.06, 506/0.03, 900/0.12, 1373/0.57 हैक्टेयर की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तदनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।